न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–01 / 2025 — दायर दिनांक: 09.01.2025
GCMS NO:- 2025/22 — पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

देवीशंकर पुत्र कल्याण जाति बैरवॉ नि0 बांसी ग्रा.प. तलवास तहसील नैनवॉ।

– प्रार्थी–

बनाम

भूस्वामी जर्ये तहसीलदार महोदय, नैनवॉ तहसील नैनवॉ

–प्रत्यार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री सीताराम नागर।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

:–निर्णय–:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बांसी प0म0 नीमखेडा तहसील नैनवॉ मे खाता संख्या 13 की भूमि खसरा नम्बर 185, 186, 232, 233, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 कुल किता 21 कुल रकबा 4.5223 हैक्टयर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बांसी प0म0 नीमखेडा मे खाता संख्या 14 की कृषि भूमि खसरा संख्या 230, 231 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4692 हैक्टयर स्थित है। इसी प्रकार ग्राम बांसी प.म. नीमखेडा मे खाता संख्या 15 की कृषि भूमि खसरा संख्या 327 / 229 रकबा 0.9708 हैक्टयर भूमि स्थित है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमियों मे प्रार्थी के पिता कल्याण आ0 कजोडलाल खातेदार दर्ज थे तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 3 मे वर्णित भूमियों मे कल्याण पुत्र कजोड खातेदार दर्ज थे जिनकी मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिसका नामान्तरकरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे प्रार्थी के नाम खुल गया लेकिन प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से प्रार्थी के पिता कल्याण की जगह रामकल्याण दर्ज हो गया। प्रार्थी के पिता का पहचान पत्र कल्याण के नाम से ही बना हुआ है तथा ग्राम बांसी प.म. नीमखेडा मे रामकल्याण आ0 कजोड नाम का कोई अन्य दुसरा व्यक्ति नही है। कल्याण का एक मात्र वारिस पुत्र प्रार्थी ही है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण दर्ज होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है जिससे प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण के स्थान पर कल्याण दर्ज होना अत्यन्त आवश्यक है जिसका प्रार्थी को पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार नैनवॉ द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 1592 दिनांक 21.04.2025 से रिपोर्ट पेश की जिसमे बताया कि प्रार्थी के सभी दस्तावेजों मे नाम देवीशंकर पि0 कल्याण दर्ज है तथा ग्रामवासियान से पता करने पर उनके द्वारा बताया गया कि देवीशंकर पि0 कल्याण एवं देवीशंकर पि. रामकल्याण एक ही व्यक्ति है। इस नाम का कोई अन्य व्यक्ति नही है जिससे प्रार्थी का नाम देवीशंकर पि0 रामकल्याण उर्फ कल्याण किया जाना उचित हाने की अनुशंषा की है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित भूमि खाता संख्या 15 की कृषि भूमि खसरा संख्या 327 / 229 मे दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम रामकल्याण के स्थान पर कल्याण दर्ज करवाये जाने का निवेदन किया। साथ ही निवेदन किया कि उक्त संबंध मे श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट भी माननीय न्यायालय को प्राप्त हो चुकी है अतः निवेदन है कि तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम संशोधन करवाने की कृपा करें।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि मे प्रार्थी के पिता का नाम कल्याण ही अंकित है तथा सरपंच ग्राम पंचायत तलवास द्वारा भी देवीशंकर के पिता को कल्याण व रामकल्याण दोनों नाम से जानना व कल्याण व रामकल्याण एक ही व्यक्ति होना प्रमाणित किया है। साथ ही तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित भूमि खाता संख्या 15 की कृषि भूमि खसरा संख्या 327/229 मे प्रार्थी का नाम देवीशंकर पि0 रामकल्याण उर्फ कल्याण किये जाने की अभिशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम बांसी प.म. नीमखेडा तहसील नैनवॉ मे स्थित खाता संख्या 15 के खसरा नम्बर 327/229 में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम "रामकल्याण" के स्थान पर "रामकल्याण उर्फ कल्याण" शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 27.08.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां